संख्या-345/2015/6030(2)/नौ-2015-64बजट/07

प्रेषक,

रंग बहादुर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगर निकाय,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊः दिनांक/8 नवम्बर, 2015

विषयः वित्तीय वर्ष 2015-16 में "प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट" (पीएमयू) के संचालन/अधिष्ठापन व्यय हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपुर्यक्त विषयक आपके पत्र संख्या-पीएमयू/1058/151(7)/2015, दिनांक 04 नवम्बर, 2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **"प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट" (पीएमयू)** के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में प्रावधानित धनराशि ₹ 100.00 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि ₹ 95.00 लाख में से **₹ 30.00 लाख (₹ तीस लाख मात्र)** की धनराशि अवमुक्त करते हुए निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल आपके निवर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1) स्वीकृत धनराशि एमओए के अनुबन्धों अधीन सक्षम स्तर (एसएलएनए/निदेशक, नगर निकाय, उत्तर प्रदेश) द्वारा व्यय के भुगतान की अनुमति प्रदान की जायेगी।

(2) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उन्हीं मदों में किया जायेगा, जो पी0एम0यू0 के गठन के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में उल्लिखित हैं।

(3) नगर निकाय निदेशालय अर्थात् राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी (एस0एल0एन0ए0) द्वारा भारत सरकार द्वारा पीएमयू के वित्तीयन हेतु निर्धारित मदों में स्वीकृत धनराशि व्यय करने के पश्चात् प्रतिपूर्ति दावा भारत सरकार को प्रस्तुत करते हुए प्रतिपूर्ति दावा प्राप्त किये जाने का प्रयास किया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन तथा महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद को भेजा जायेगा।

(4) उक्त धनराशि का कोई भी अंश आहरित कर किसी बैंक /पोस्ट आफिस में नहीं रखा जायेगा तथा आवश्यकतानुसार धनराशि का आहरण कर व्यय किया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो पर ही किया जायेगा, जिसके लिये यह स्वीकृत की जा रही है। धनराशि का व्यावर्तन किसी भी दशा में मान्य नहीं होगा।

2- इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामलें की सूचना पूर्ण विवरण सहित नगर विकास विभाग तथा वित्त विभाग को दे दी जायेगी।

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत *लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-04-प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट (के.100/रा.0-के.)-00-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)* " के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

संख्या-345 /2015/6030(3)/नौ-5-2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-,

1- महालेखाकार(वर्क्स लेखा अनुभाग), उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- संयुक्त सचिव (यू0डी0) एवं मिशन डायरेक्टर (जेएनएनयूआरएम), भारत सरकार, शह विकास मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त (ई-8) अनुभाग/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
6- वरिष्ठ लेखाधिकारी/मुख्य/सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, कार्यालय निदेशक नगर निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
7- राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, योजना भवन, लखनऊ।
8- प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट, एसएलएनए/निदेशक, नगर निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
9- सुपर यूजर, नगर विकास/ कम्प्यूटर सेल।
10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।